(13)

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 26/2022 बउनवानी मधुसुदन गुप्ता बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर पुत्र श्री केदार लाल गुप्ता, निवासी ग्राम व पोस्ट मलारना डूँगर

GCMS No-2022/26

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
16.02.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 4.10.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—

1. माननीय श्रीमान सूचना आयुक्त जी महोदय राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर के निर्णय दिनांक 20.07.2020 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित करते हुए माननीय सूचना आयुक्त, द्वारा प्रत्यार्थी आपको निर्देशित किया गया था कि वह आदेश प्राप्ति के एक माह में अपीलार्थी को सूचना आवेदन सें संबंधित सूचना कार्यालय से मंगवाकर नियमानुसार देय सूचना अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित पंजीकृत डाक द्वारा अपीलार्थी को निःशुल्क भिजवायी जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्णय की पालना की गयी है या नही ? के संबंध मे प्रमाणित सूचना देवे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ/2022/3387 दिनांक 9.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 4.10.2021 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना (सूचना आयोग के निर्णय दिनांक 20.7.2020 की पालना) के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी मलारना डूँगर के पत्र क्रमांक 229 दिनांक 3.7.2021 द्वारा प्रेषित की जाकर प्राप्ति की रसीद प्राप्त की गयी है। पुनः श्री गुप्ता के आवेदन पर उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के पत्रांक सूकाअ/21/2685 दिनांक 12.10.2021 द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है। यह भी अंकित किया है कि उक्त पालना रिपोर्ट के आधार पर माननीय सूचना आयोग जयपुर मे दर्ज परिवाद संख्या सी.आई.सी./एस.एम.डी.एच./सी/2020/112692 के निर्णय दिनांक 2.11.2021 के बिन्दु संख्या 7 मे माननीय आयोग द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 20.7.20 की पालना हो जाने से अपीलार्थी का परिवाद खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना उसको उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के [illegible] दिनांक 4.10.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी [illegible] लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के जवाब अनुसार ग्राम पंचायत मलारना [illegible] एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के कार्यालय द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी [illegible] में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो[illegible]द तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:17:15 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर